राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकःएफ:1514 सीसी/स्वा.कार्य.पु./2018/467 दिनांक : 22.2.18

आदेश

श्री उम्मेद खान स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) द्वारा दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11079/14 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने निर्णय दिनांक 09.02.2016 निम्नानुसार पारित किया है :–

"All the writ petitions are allowed with the direction to the respondents to allow pay scale of 1200-2050 (revised to 4000-6000) on second selection scale and pay scale of 1640-2900 (revised to 5500-9000) on third selection scale to MPHW. The compliance of the order be made within a period of four months from the date of receipt of copy this order. In view of direction given above, if any adverse order has been passed on a representation or otherwise, then all those adverse orders are set aside. It is made clear that benefit aforesaid would be available to those petitioners who have not yet been granted pay scale given above on second and third selection scale.

It disposes of the stay applications also."

दाड़म दास वैष्णव के प्रकरण में एकलपीठ के उक्त निर्णय के विरूद्ध डी.बी.स्पेशल अपील रिट नं. 738/2014 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम दाड़म दास वैष्णव के प्रकरण में दायर की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 2.7.2014 विलम्ब के आधार पर खारिज किया गया है, उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी संख्या 3521/2016 दायर की गई, जो दिनांक 26.2.2016 को विलम्ब के आधार पर खारिज हो गई, जिसमें रिव्यू दायर की गई जो दिनांक 3.5.2017 को खारिज हो गई।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) साधारण वेतन श्रृंखला से क्रमशः स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) वरिष्ठ वेतन श्रृंखला, सेक्टर सुपरवाईजर (मेल) एवं खण्ड स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/मलेरिया निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है तथा पुनरीक्षित वेतनमान 1989 एवं 1996 के अनुसार इन पदो की वेतन श्रृंखला 975–1720/3200–4900, 1025–1800/3400–5200 एवं 1200–2050/4000–6000 है जो उक्त वर्णित कर्मचारी/याचिकाकर्ता को स्वीकृत किया गया है।

याचिकर्ता को विभागीय प्रशिक्षण एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एमपीडब्ल्यू मेल पद पर नियुक्ति दिये जाने के कारण एकल पद मानते हुए वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.1.92 एवं 17.2.98 के पैरा 5 के अनुसार एकल पद मानते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला 4000–6000 एवं तदानुसार स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। समान प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा याचक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण स्वमुखरित आदेश से करने के निर्देश दिये है। एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11079/14 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने निर्णय दिनांक 09.02.2016 से प्रकरण को दाडमदास वैष्णव प्रकरण में पारित निर्णय से कवर्ड करते हुये उक्त निर्णय के प्रकाश में प्रार्थी के अभ्यावेदन पर संकारण आदेश पारित कर निर्णित करने के निर्देश दिये है।

PTO ...

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर अवमानना याचिका संख्या 940/2016 के मध्यनजर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11079/14 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2016 की पालना में याचिकर्ता के प्रकरण का सुसंगत अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर परीक्षण करने पर याचिकर्ता के तथ्य दाड़म दास प्रकरण के समान होने के कारण वित्त विभाग द्वारा आई.डी. कमांक 221400856 दिनांक 3.9.2014 एवं प्रशासनिक विभाग की आई.डी. कमांक 666 दिनांक 3.9.2014 के द्वारा दाड़म दास वैष्णव के प्रकरण में डी.बी./रिव्यू के निर्णयाधीन दी गई सहमति के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष को नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करते हुए कार्यालय के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार वेतन/स्थिरीकरण तथा राशि की गणना सही की गई है की शर्त पर 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1200—2050/4000—6000, 1640—2900/5500—9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है। याचिकर्ता को दिनांक 1.1.2006 के पश्चात नियमानुसार देय एसीपी स्वीकृत किया जाना है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधीन होगी।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

कमांकः एफ:1514 सीसी/स्वा.कार्य.पु./2018/ 467 दिनांक : 22.2.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम/द्वितीय।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
8. श्री दीपक सैनी सहायक लेखाधिकारी (बजट मिलान) मुख्यालय एवं समन्वयक।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमारा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

G:_\Order Gyapan.doc